

निदेशक योजना (द्वारका) 51-MPD
पाबती संख्या (पत्र) 588
दिनांक 21-5-12

DI-21-5-2012

181/C

श्री पी.एस. उत्तरवार,
निदेशक (योजना),
दि.पि.प्रा., द्वारका, जोन के-1,
के-2 एवं एल दि.वि.प्रा. द्वारका

OFFICE OF THE DIR (Pig.)
MPR/TC, D.D.A. N: DELHI-2
Dy.No. 3486
Dated. 21/5/12

विषय :- दिल्ली मुख्या योजना-2021 की समीक्षा हेतु नए सुझाव

1. गाँव अर्बन या रूरल हो गाँव के चारों तरफ फिरनी रोड़ से कम 20.00 मीटर चौड़ी रोड़ बनाई जाय।
2. गाँव की लाल डोरा आबादी में 500 वर्ग गज या उससे अधिक साईज का प्लाट जो 20 मीटर या इससे अधिक चौड़ी रोड़ पर वर्तमान है तो प्लाट में मिक्सलैंड यूज / कॉर्मीशियल यूज / बैंकवट हॉल, गेस्ट हाउस, होटल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नर्सिंग होम आदि का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
3. मास्टर प्लान 2021 के सभी नये एपरोच रोड़ / अर्बन रोड़ 30 मीटर, 45 मीटर व 100 मीटर या इससे अधिक जल्दी से जल्दी पूर्ण किए जाने चाहिए।
4. रेजिडेन्सल प्लाट द्वारका में इमारत की ऊँचाई 25 मीटर होनी चाहिए व 8 मंजिल तक बनाने का प्रावधान होना चाहिए यदि प्लॉट का मालिक लिफ्ट का प्रावधान उपलब्ध कराने की व्यवस्था दे।
5. एफ.ए.आर. 500 होना चाहिए।
6. बिल्डिंग प्लान रेजिडेन्सल प्लाट का जो प्रयोग किया जाये (मिक्सलैंड यूज / कॉर्मीशियल लैंड यूज) उसे भी पास किया जाना चाहिए।
7. 30 मीटर रोड़ व उससे उपर की रोड़ पर प्लाट को कॉर्मीशियल यूज की परमीशन दी जाए।
8. द्वारका में बिल्डिंग बनाने के लिए पानी कहाँ से आए इसका प्रावधान भी होना चाहिए क्योंकि द्वारका में पानी के दोहन पर पूरी तरह पाबंदी है पानी की व्यवस्था साधारण तरीके से की जाए।

Handwritten signature

राकेश कुमार
देवेन्द्र सिंह

फ्लैट न.-26,

पॉकेट-3, सैक्टर-19,

द्वारका नई दिल्ली।

मोबाईल - 09810043163

47

Dr. Subrah

AP

Handwritten signature
21-5-12